12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. **Notification of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions**

II. **Report and Accounts (1998-99) of the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, New Delhi and Memorandum of Understanding (2000-2001) between Government of India**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, I, on behalf of Smt. Vasundhara Raje lay on the Table-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), under sub section (2) of Section 3 of the All India Services Act, 1951:

1. G.S.R. 171 dated 20.5.2000 publishing the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2000.

2. G.S.R. 172 dated 20.5.2000 publishing the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2000. [Placed in Library. See No. LT. 2129/00]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, New Delhi, for the year 1998-99, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. See No. LT. 2130/00]

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries) and the National Small Industries

Corporation (NSIC) Limited for the year 2000-2001. [Placed *in Library. See* No. LT. 2131/00]

Notification of the Ministry of Parliamentary Affairs

SHRI O. RAJAGOPAL : Sir, I also lay on the Table, under sub-section (2) of Section 4 of the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Parliamentary Affairs G.S.R. 583 (E) dated 3.7.2000 publishing the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Telephone and Secretarial Facilities) Amendment Rules, 2000. [Placed in Library. *See* No. LT. 2132/00]

RE. ADMISSION OF A MOTION

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन सदैव नियम और परम्परा से चलता आया है। मैं आपका ध्यान इस सदन की, राज्य सभा की डिबेट जो 10 अगस्त 1978 को हुई थी जो कालम 235 से 246 तक प्रकाशित हुई है जिसमें एक मोशन प्रस्तावित किया गया था जो कि उस समय के प्रधान मंत्री और उस समय के गृह मंत्री से संबंधित था। वह मोशन डिसकसन के लिए आया था। उस मोशन को एडमिट करने के बाद जब वह डिसकशन के लिए आया तो कुछ पाइंट आफ आर्डर जो रेज किए गए, वह रूल 169 के सब रूल 1, 3, 4 और 6 के तहत दिए गए। मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई मोशन डिसकशन के लिए दिया जाता है, एडमिशन के लिए दिया जाता है तो इस हाउस की यह परम्परा रही है कि यदि वह इम्पोर्टेंट विषय पर दिया गया मोशन है तो उसे स्वीकार किया जाये। यदि उस मोशन से संबंधित भाषा में कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति बाद में प्रस्तुत की जा सकती है, जैसा कि 10 अगस्त 1978 को जो मोशन पिक अप किया गया था उस समय प्रस्तुत की गई थी, उस समय के सदस्यों के द्वारा।

मेरा दूसरा आग्रह आपके माध्यम से यह है कि यदि कोई मोशन डिसकसन के लिए स्वीकृत भी हो जाता है तो उस मोशन पर अमेंडमेंट भी दिया जा सकता है। उसी 10 अगस्त, 1978 को जो मोशन माननीय सदस्य साल्वे जी ने उस समय दिया था। उस समय एक अमेंडमेंट भूपेश गुप्ता जी ने दिया था।

तीसरा आग्रह यह है कि एक ही विषय पर बार-बार मोशन दिये जा सकते हैं। इस सदन की परम्परा यह रही है कि 10 अगस्त, 1978 के मोशन पर चर्चा इस हाउस में 17 अगस्त को भी हुई है। चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है और उसके बाद 24 अगस्त को प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था जबकि पहले वक्तव्य आ गया था उसके बाद 29 अगस्त को चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी थी। इसमें तीन बातें आती हैं। क्या एक ही विषय पर इस सदन में बार-बार चर्चा हो सकती है? परम्परा रही है कि बार-बार चर्चा हुई है। यदि वह अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का विषय है, क्या दो मोशन एक साथ क्लब किए जा सकते हैं?

तो परम्परा रही है अगर इस हाउस की प्रोसीडिंग तीन अगस्त, 1978 की देखी जाए और कालम 206 से 220 के बीच की प्रोसीडिंग देखी जाए तो उसमें दो मोशन एक साथ क्लब